परिवार पहचान-पत्र

drishtiias.com/hindi/printpdf/parivar-pehchan-patra-ppp

चर्चा में क्यों?

15 सितंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी विभागाध्यक्षों को **1 नवंबर, 2021** तक **अपने-अपने विभागों की योजनाओं और सेवाओं को परिवार पहचान-पत्र (पीपीपी) से जोड़ने का निर्देश** दिया।

प्रमुख बिंदु

- अंत्योदय की भावना से शुरू की गई पीपीपी राज्य सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य **पात्र परिवारों को सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुनिश्चित कराना है।**
- हर परिवार का परिवार पहचान-पत्र बनाने के लिये इस तरह की योजना बनाने वाला **हरियाणा देश का पहला राज्य** है। अभी तक इस प्रकार की योजना न तो देश में शुरू की गई है और न ही विदेश में।
- पीपीपी योजना के लाभों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी को महाविद्यालयों में प्रवेश से जोड़ने के बाद छात्रों के डाटा का स्वत:सत्यापन किया गया। इसके साथ ही अब छात्रों को अपने सत्यापन कार्य के लिये इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
- पहले लाभार्थियों के सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं थी, अब पीपीपी के जरिये सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी तरह पारदर्शिता आएगी।
- पीपीपी के आने से यह जानना आसान हो जाएगा कि कौन-सा व्यक्ति किस योजना का लाभ लेने के योग्य है और किसे इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है।
- इस योजना के प्रारंभ होने से अब सरकारी योजनाओं का लाभ भी **स्मार्ट कार्ड** के ज़रिये मिलेगा। **स्मार्ट कार्ड को पीपीपी से जोड़ा जाएगा**।
- प्रारंभ में **आयुष्मान भारत, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और पेंशन योजना** को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा जा रहा है।